फा. सं0 13015/17/2019-क्यूए

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण)

गुणता आश्वासन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 28th अगस्त, 2019

विषय :सी.एस.आई.आर.-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-ई.आई.टी.आर.), लखनऊ में दिनांक 25-27 सितम्बर,2019 तक अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकन के संबंध में

महोदय/महोदया,

एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के खाद्य विश्लेषकों और अन्य वैज्ञानिक/ तकनीकी कार्मिकों के लिए एस.आई.आर.-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-ई.आई.टी.आर.), लखनऊ में दिनांक 25-27 सितम्बर,2019 में तक अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

2. यह सभी राज्य प्रयोगशालाओं और अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य कार्यक्रम है और यह प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए अच्छी प्रयोगशाला रीतियों की जानकारी लेन में सहायक होगा। कार्यक्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी:

- भारत में खाद्य सुरक्षा के आश्वासन के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की भूमिका
- प्रतिचयन और नमूना प्रहस्तन
- एफ.एस.एस.ए.आई के अनुसार खाद्य नमूनों में गुणता और सुरक्षा मानदंडों का परीक्षण
- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का डिजाइन, आवासन और पर्यावरण
- खाद्य सूक्ष्मवैज्ञानिक प्रयोगशाला की चुनौतियाँ
- प्रयोगशाला सुरक्षा और अपशिष्ट निपटान
- काँच की सामग्री के अंशांकन का प्रदर्शन

3. आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रयोगशाला के कम से कम 5 कार्मिकों के नाम संलग्न प्रारूप में training.qa@fssai.gov.in मेल से भेजने का कष्ट करें। आप द्वारा नामित आवेदकों को दिनांक **6 सितम्बर, 2019** तक गूगल फॉर्म https://forms.gle/tVDmQXbqBjfWprMP8 लिंक के माध्यम से आवेदन प्रपत्र भरना होगा। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार के नाम का निर्णय एफ.एस.एस.एस.ए.आई द्वारा लिया जाएगा और उसके बार में संबंधित संगठन को समय रहते सूचित कर दिया जाएगा।

4. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई प्रशिक्षण/पंजीकरण शुल्क नहीं है। केवल राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं के भागीदारों के टीए/डीए का वहन एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा।

5. एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा यात्रा व्यय का भुगतान केवल नियमानुसार और सरकारी पात्रता के अनुसार किया जाएगा (कृपया अपना बोर्डिंग पास/ ट्रेन टिकिट/ बस टिकिट, टॅक्सी , होटल या गेस्ट हाउस की मूल रसीद संगलग्न करे) । हवाई जहाज द्वारा यात्रा का भुगतान केवल एअर इंडिया/इंडियर एअरलाइन्स द्वारा यात्रा के लिए किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि इवाई टिकटें एअर इंडिया के बुकिंग काउंटर से अथवा उसकी वेबसाइट www.airindia.com से सीधे अथवा प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों - मेसर्स बामर एंड लारी एंड कंपनी (www.balmerlawrie.com), मेसर्स अशोका ट्रैवल्स एंड टूरज से तथा रेल यात्रा की टिकटें आई.आर.सी.टी.सी (www.irctc.co.in) से खरीदी जा सकती हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि किसी प्राइवेट एअरलाइन से यात्रा करने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. जिन व्यक्तियों ने जी.एफ.एल.पी कार्यक्रम में पहले भाग ले लिया हो, उन्हें दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नीलेश

(नीलेश कुमार ओझा)

सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन)

011-23210596/09871337687

सेवा में

1. राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड
2. राज्य खाद्य प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड
3. प्रतिलिपि: आईटी प्रभाग - एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डालने के लिए

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा

तक अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

अग्रेषण प्राधिकरण की अनुशंसा

मुझे अपनी प्रयोगशाला के निम्नलिखित कार्मिकों को सी.एस.आई.आर.-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-ई.आई.टी.आर.), लखनऊ में दिनांक 25-27 सितम्बर,2019 तक अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करके प्रसन्नता हो रही है:

1.
2.
3.
4.
5.

संबंधित कार्मिकों द्वारा आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

तिथि:

प्रयोगशाला का नाम :

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम :

दूरभाष संपर्क :